रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

:15] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 1999/आश्विन 9, 1921

.. 215] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1999/ASVINA 9, 1921

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 32 (पी एन)/1997—2002

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1999

फा. सं. 1/7/265/97-98/पीसी-2.—दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 की सार्वजनिक सूचना संख्या 62 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके तहत निर्यात-आयात नीति, 1992—97 के अनुसार जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जिन मामलों में निर्यात दायित्व 31 दिसम्बर, 1997 को या उससे पहले पूरा कर लिया गया था लेकिन लाइसेंस आयात किए बिना उनकी समयावधि समाप्त हो गई, उन मामलों में सार्वजनिक सूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार हस्तांतरणीयता के पृष्ठांकन के लिए व्यवस्था की गई थी।

इस आशय के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ मामलों में उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अधीन हस्तांतरणीयता के पृष्ठांकन की मंजूरी के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे लेकिन कतिपय कारणों जैसे कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 32/98 तारीख 4-6-1998, और विदेश व्यापार महानिदेशालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 7, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 के जारी होने या निर्धारित समय के भीतर हस्तांतरणीयता की मंजूरी देने में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की ओर से देरी हो जाने के कारण पृष्ठांकन नहीं किया जा सका था । कुछ अन्य मामलों में 31 दिसम्बर, 1997 से पूर्व निर्यात पूरा हो जाने के बावजूद भी डी ई ई सी बुक में उसकी प्रविष्टि में देरी और सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मोडवेट के प्रत्यावर्तन प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हो जाने के कारण उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना-के तहत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे ।

उपर्युक्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद, सांविधिक आदेश संख्या-283 (अ) दिनांक 31-3-1997 के तहत प्रकाशित भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2 में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति,

1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्नलिखित प्रक्रिया को, एतद्द्वारा, अधिसूचित करते हैं :-

"निर्यात और आयात नीति, 1992-97 के अनुसार जारी अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में, ऐसे मामलों में जहां कहीं निर्यात दायित्व 31 दिसम्बर, 1997 को अथवा उससे पहले पूरा कर लिया गया हो और सार्वजनिक सूचना संख्या-62 दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के तहत हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन हेतु लाइसेंसों को 20-2-1998 को अथवा उससे पूर्व जमा कराया गया हो लेकिन हस्तान्तरणीयता का पृष्ठांकन न हो सका हो क्योंकि सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 32/98 केवल 4-6-1998 को जारी की गई अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय की सार्वजनिक सूचना संख्या-7 केवल 13 अप्रैल, 1998 को जारी की गई अथवा निर्धारित समय अवधि के भीतर हस्तान्तरणीयता की मंजूरी देने में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब हुआ ।

अथवा

निर्यात-आयात नीति, 1992-97, के अनुसार जारी किए अग्रिम लाइसेंसों के मामले में, जहां ऐसे मामलों के लिए निर्यात दायित्व 31 दिसम्बर, 1997 को अथवा उससे पहले पूरा कर दिया गया है। लेकिन लाइसेंस डी ई ई सी बुक में प्रविष्टि में देरी के कारण, मोडवेट प्रत्यावर्तन प्रमाणपत्र को जारी करने में देरी के कारण सार्वजनिक सूचना सं. 62 दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के लिए जमा नहीं किए जा सके थे, ऐसे मामलों में पुनः वैधीकरण और हस्तान्तरणीयता के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है । प्रक्रिया पुस्तक, 1997-2002 के पैराग्राफ 7.27 के सम्बंध में जहाँ कहीं भी लागू हो, चाहे लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका हो अथवा 30 महीने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी हो लेकिन, ऐसे लाइसेंस जिनका पुनः वैधीकरण किया जाना है और हस्तान्तरण किया जाना है, केवल 31 मार्च, 2000 तक वैध होंगे । निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को 31-10-1999 तक प्रस्तुत करें । जहाँ हस्तान्तरणीयता के लिए दस्तावेज डी ई ई सी बुक की प्रविष्टि में विलम्ब के कारण मोडवेट प्रत्यावर्तन प्रमाणपत्र को जारी किए जाने में विलम्ब के कारण जमा नहीं किए जा सके, उन मामलों में निर्यातकों को ऐसे विलम्ब को प्रमाणित करते हुए सम्बंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। उसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी, पुनःवैधीकरण और हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के लिए औपचारिकताएं 30-11-1999 तक पूरी करेगा। लेकिन, जहाँ हस्तान्तरणीयता का पृष्ठांकन पहले ही कर दिया गया है वहाँ पुनःवैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एन० एल० लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 32 (PN)/1997—2002

New Delhi, the 1st October, 1999

F. No. 1/7/265/97-98/PC-II.—Attention is invited to Public Notice No. 62 dated 31st December, 1997, according to which in respect of Advance Licences issued as per EXIM Policy, 1992—97, where export obligation had been completed on or before 31st December, 1997 but licences had expired without effecting the imports, a provision was made for endorsement of transferability in accordance with the conditions as laid down therein.

Several representations have been received to the effect that in some cases the documents were submitted for grant of endorsement of transferability under the above stated Public Notice but the endorsement could not be effected because of certain reasons like Issuance of Custom Notification No. 32/98 on 4.6.1998, Issuance of DGFT Public Notice No. 7 on 13th April, 1998 or delay at the end of the Licensing Authorities in granting transferability within the stipulated time period. In some other cases the documents could not be submitted under the above stated Public Notice because of delay in logging of DEEC Book in spite of having completed the exports before 31st December, 1997, delay in the Issuance of reversal certificate of MODVAT by Customs / Central Excise Authorities.

After considering the above stated requests, in exercise of powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997-2002, as notified in the Gazette of India Extra-ordinary, Part – II, Section – 3 – Sub-section (ii) vide S.O. No. 283 (E) dated 31.3.1997, the Director General of Foreign Trade hereby notify the following arrangement :

"In respect of Advance Licenses Issued as per EXIM Policy, 1992-97, wherever export obligation against such cases has been completed on or before 31st December, 1997 and the licenses were submitted for endorsement of transferability under Public Notice No. 62 dated 31st December, 1997, on or before 20.2.1998, but the endorsement of transferability could not be effected because Custom Notification No. 32/98 could be issued only on 4.6.1998 or DGFT Public Notice No. 7 could be issued only on 13th April, 1998 or delay at the end of the Licensing Authorities in granting transferability within stipulated time period **OR**

In respect of Advance Licenses Issued as per EXIM Policy, 1992-97, where export obligation against such cases has been completed on or before 31st December, 1997 but the licenses could not be submitted for endorsement of transferability under Public Notice No. 62 dated 31st December, 1997 because of delay in the logging of DEEC Book, delay in Issuance of MODVAT reversal certificate,
In such cases the request for revalidation and transferability may be considered,

wherever admissible in terms of Paragraph 7.27 of Handbook of Procedures, 1997-2002, even if the license has already expired and even if 30 months period is already over. However, such licenses which are revalidated and transferability effected, shall be valid only up to 31st March, 2000. Exporters are advised to file their requests to the concerned Licensing Authorities latest by 31.10.1999. Where documents for transferability could not be submitted due to delay in the logging of the DEEC Book or delay in the issuance of MODVAT reversal certificate, in such cases the exporter shall be required to submit a certificate from concerned Custom Authority certifying such delays. Licensing Authorities shall, thereafter, complete the formalities for endorsement of revalidation and transferability latest by 30.11.1999. However, no revalidation shall be granted where endorsement of transferability has already been effected."

This issues in public interest.

L. N. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054